न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0ख
आई.ए.ए

प्रथम अपील संख्या 118/2020

मोहम्मद हनीफ पुत्र सरवर अली खान जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड न0 1 ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 25.11.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक **03.11.2020** को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 118/2020 पर दिनांक 03.11.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/1888 —1889 दिनांक 03.11.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर ने पत्रांक राजस्व/2020/1036 दिनांक 19.11.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय मे आर0टी0आई0 आवेदन प्रेषित कर नायब तहसीलदार मलसीसर मे संस्थित मुकदमा नम्बर 181/84, अन्तर्गत धारा 91 उनवान सरकार बनाम नजरू खां पुत्र हैदर खां निवासी धनूरी से संबंधित पत्रावली से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी। उक्त पत्रावली इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/1986/309 दिनांक 03.05.1986 के द्वारा वास्ते नियमन मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं को प्रेषित की गई थी। इस कार्यालय की राजस्व शाखा की वर्ष 1986 की पत्र प्रेषण पंजिका मे उक्त पत्र प्रेषण की प्रविष्टी दर्ज है जिसकी प्रति पत्र के साथ सलंग्न है। चूंकि उक्त आर0टी0आई आवेदन मे चाही गई सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/2020/822 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा उक्त आर0टी0आई0 आवेदन मूल ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत उक्त कार्यालय को अन्तरित कर इसकी सूचना आवेदक को भी दी जा चुकी है। उक्त आवेदन के अन्तरण संबंधित पत्रांक की प्रति पत्र के साथ सलंग्न है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त होने पर उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2020/1036 दिनांक 19.11.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा उनके कार्यालय मे आर0टी0आई0 आवेदन प्रेषित कर नायब तहसीलदार मलसीसर मे संस्थित मुकदमा नम्बर 181/84, अन्तर्गत धारा 91 उनवान सरकार बनाम नजरू खां पुत्र हैदर खां निवासी धनूरी से

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

संबंधित पत्रावली से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी। उक्त पत्रावली उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/1986/309 दिनांक 03.05.1986 के द्वारा वास्ते नियमन मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं को प्रेषित की गई थी। उनके कार्यालय की राजस्व शाखा की वर्ष 1986 की पत्र प्रेषण पंजिका मे उक्त पत्र प्रेषण की प्रविष्टि दर्ज है। चूंकि उक्त आर0टी0आई आवेदन मे चाही गई सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं से संबंधित होने के कारण उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/2020/822 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा उक्त आर0टी0आई0 आवेदन मूल ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत उक्त कार्यालय को अन्तरित कर इसकी सूचना आवेदक को भी दी जा चुकी है। प्रकरण अपीलार्थी का प्रा0पत्र नियमानुसार अन्तरित किया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 25.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं